केंद्रीय विद्यालय ओ.ई.एफ़. कानपुर
KENDRIYA VIDYALAYA OEF KANPUR

दिनांक 20-07-2020

सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 में प्रवेश हेतु सूचना

1. **कक्षा 9 में केवल एक रिक्ति** के सापेक्ष (प्रवेश के समय रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है) प्रवेश हेतु **पंजीकरण फॉर्म निर्धारित प्रारूप में दिनांक 20-07-2020 से 25-07-2020** तक आमंत्रित किए जाते है।
2. पंजीकरण फॉर्म विद्यालय की वैबसाइट / विद्यालय से प्राप्त किए जा सकता है एवं पूर्ण रूप से भरा हुआ पंजीकरण फॉर्म ईमेल से kvoefknp@gmail.com पर (PDF फ़ाइल में) / विद्यालय मे **दिनांक 20-07-2020 से 25-07-2020 तक प्रात: 11:00 बजे से अपराहन 02:00 बजे तक जमा** किया जा सकता है।
3. कक्षा - 9 में प्रवेश के लिए अनंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों की **सूची दिनांक 29-07-2020 को शाम 4 बजे जारी की जाएगी**। अनंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों का **प्रवेश दिनांक 30-07-2020 से 07-08-2020 प्रात: 11:00 बजे से अपराहन 02:00 बजे तक** किया जायेगा।
4. प्रवेश हेतु कक्षा 8 के स्तर की (हिन्दी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय पर) एक 100 अंकों (प्रत्येक विषय के लिए 20 अंक) की तीन घंटे की **प्रवेश परीक्षा दिनांक 27-07-2020 को प्रातः 11:00 से अपराहन 02:00 बजे तक** आयोजित की जाएगी।
5. चयन हेतु विद्यार्थी को कम से कम **कुल 33% अंकों** (SC/ST/दिव्यांग छात्रों के लिए कुल 25% अंक) से परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
6. सभी प्रवेश अभिभावक की सेवा श्रेणी के क्रम में प्रवेश परीक्षा की मैरिट के अनुसार होंगे।
7. अभिभावक अपने पाल्य को प्रवेश के दिन अवश्य साथ लाएं।
8. सभी प्रवेश केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा जारी प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं प्रपत्रों के सत्यापन उपरांत ही किए जाएँगे। अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची मेँ नाम होने मात्र से अभ्यर्थी प्रवेश का हकदार नहीं होगा।
9. जाली दस्तावेजों / तथ्यों का गलत रुप से प्रस्तुतीकरण / निर्धारित समय के अंदर वांछित दस्तावेजों को उपलब्ध न करा पाना, जैसी स्थितियों में विद्यालय प्रशासन को प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
10. प्रवेश के समय निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है।
    - I विद्यार्थी की कक्षा 8 पास की स्थानांतरण प्रमाणपत्र (TC) एवं परीक्षा परिणाम।
    - II विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र (नगरपालिका द्वारा जारी इंटरनेट कॉपी / सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति)
    - III निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / फोन बिल / बिजली बिल / गैस कनैक्शन / ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
    - IV विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र (ऑनलाइन कॉपी)
    - V एकल पुत्री प्रमाण पत्र (रु. 100 के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र)
    - VI विद्यार्थी की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट
    - VII विद्यार्थी का आधार कार्ड
    - VIII अभिभावक का ईमेल
    - IX विभाग द्वारा जारी नवीनतम सर्विस प्रमाण पत्र (डीडीओ के नाम, पद, हस्ताक्षर एवं फोन नं. के साथ)
    - X विद्यालय से आवास की दूरी का प्रमाण पत्र,
    - XI मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग (विकलांग) प्रमाण पत्र, आदि
11. किसी भी अनंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्रवेश दिनांक 07-08-2020 के बाद नहीं लिया जायेगा।
12. प्रवेश हेतु अभिभावक को नियमानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में (ऑनलाइन अथवा काउंटर पर) उक्त अवधि में ही किया जाना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जाएग।
13. केन्द्रीय विद्यालय संगठन पत्रांक F. 110240/04/2013/KVS/Budget दिनांक 19-03-2013 के प्रावधानों के अनुसार सेवा श्रेणी 1 से 4 के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को सामान्यतः किसी प्रकार की छूट देना संभव नहीं होगा। उक्त छूट प्राप्त करने हेतु सेवा श्रेणी 1 से 4 तक के आवेदक को अपने विभाग से बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति का अधिकारी न होने का विभागीय डी.डी.ओ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्राचार्य